

Q. केन्द्रीय स्थल क्या है ? वाटर फ्रिस्टल के केन्द्र स्थल सिद्धान्त का वर्णन करें ? (Town and Cities as Central Places)

केन्द्रीय स्थल या केन्द्रीय स्थान (Central Places) वह बस्ती (अविकास) है, जो चारों ओर फैले हुए प्रदेश के लिए सामाजिक-आर्थिक प्रकार के विभिन्न कार्यों का आवश्यक रूप से एक संग्रह केन्द्र है, जिन कार्यों द्वारा यह बस्ती अपने समीपवर्ती क्षेत्र की सेवा करती है, इसे केन्द्रीय कार्य (Central Function) कहा जाता है।

सामान्यतः केन्द्रीय स्थल का अर्थ कस्बा (Town) होता है, परन्तु किसी एक नगरीय क्षेत्र में कई केन्द्र स्थल हो सकते हैं, जो विवरण बिन्दु के रूप में कार्य करते हैं तथा प्रत्येक कस्बा अपने-अपने समीपवर्ती क्षेत्र को सेवाएँ प्रदान करता है। ऐसी सेवाएँ ग्रामीण व नगरीय दोनों क्षेत्रों की हो सकती हैं।

मार्क वेबरसन के अनुसार :- "नगर स्वयं विकसित नहीं होते, आस-पास का ग्रामीण क्षेत्र ऐसा वातावरण उपस्थित करता है कि केन्द्रीय स्थलों पर कुछ विशेष कार्य होना आवश्यक हो जाता है।"

अतः इस परिभाषा से पता चलता है कि नगरों का विकास समीपवर्ती रेहारी क्षेत्रों के संसाधनों पर आधिकांशतः निर्भर करता है। नगर में रहने वाली जनसंख्या को भोजन, दूध, साठियाँ, फल, आटा आदि वैयक्तिक आवश्यकताओं की पूर्ति समीपवर्ती ग्रामीण क्षेत्र से होती है तथा वाणिज्य, व्यवसाय व औद्योगिक कार्य माल एवं मानव शक्ति की भी प्राप्ति होती है। दूसरी ओर नगर आर्थिक राजधानी के रूप में समीपवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों की सेवा करता है। और यह केन्द्रीय स्थल (Central Place) कहलाता है।

केन्द्रीय स्थल के कार्य (Work of Central Places)

प्रत्येक केन्द्रीय स्थल के उदभव एवं विकास के लिए कुछ कार्य होते हैं, जिन्हें केन्द्र स्थल सदैव करता रहता है। किसी स्थल के उदभव का कारण आस-पास ग्रामीण क्षेत्रों की कृषि-शक्ति की सुविधा के आधार पर हो सकता है, वहीं आकार उस प्रदेश के सभी लोग अपने सगानों की खरीद या बिक्री करते हैं। इस प्रकार ऐसे केन्द्र स्थल का प्राथमिक कार्य क्रय-विक्रय है। प्रदेश के अन्तर्गत इसी तरह अन्य प्राथमिक कार्यों के कारण कहीं सेवा केन्द्र, बाजार, मण्डियाँ, मेला आदि विकसित हो जाते हैं।

अतः केन्द्रीय स्थानों (Centre Place) के कार्यों को दो भागों में बाँटा जा सकता है - (1) मूल्यकार्य (Basic Activities) (2) गैर-मूल्यकार्य (Non-Basic Activities)

समीपवर्ती प्रदेश से प्राप्त होता है। इन कार्यो द्वारा ही नगर बाहरी क्षेत्रो से धन अर्जित करता है। केन्द्र स्थान (Centre Place) के मुख्य कार्यो में शैक्षणिक, विद्याये, व्यापारिक, वित्तीय, प्रशासकीय, मनोरंजन व सुरक्षा सम्बन्धी कार्य शामिल है।

गैर मूल कार्य (Non-Basic Activities):— इन्हे स्थानिक क्रियाए भी कहते हैं, जो नगर के लोगो के लिये आवश्यक होते हैं। किसी नगर पालिका द्वारा नगर में, शिक्षा, बिजली, पानी, प्रकाश, सड़क आदि की व्यवस्था करना गैर मूल कार्य है।

वाल्टर क्रिस्टालर का केन्द्रीय स्थल सिद्धान्त

जर्मन अर्थशास्त्री वाल्टर क्रिस्टालर ने 1933 में नगरीय व ग्रामीण आधिवासो के वितरण का एक सिद्धान्त प्रतिपादित किया जिसमें उन्होने बताया कि—“एक नगरीय केन्द्र (Urban Centre) को उत्साहक भूमि का एक निश्चित क्षेत्रफल धोषित करता है। किसी केन्द्र का सत्ता इस लिये बनी रहती है कि वह अपने समीपवर्ती क्षेत्र को अनिवार्य सेवाए प्रदान करता है।”

वाल्टर क्रिस्टालर ने Centre Place को पदानुक्रम में उल्लेख किया है, जो निम्न है—

(क) क्रिस्टालर का बाजार सिद्धान्त :— (Marketing Principle) :— क्रिस्टालर ने बाजार सिद्धान्त पर आधारित केन्द्र स्थलों के आकार को $K=3$ मेटर्वे कहा है। इस नियम के अनुसार अधिवासो का पदानुक्रम 1, 3, 9, 27, 81, 243 आदि का क्रम होगा। स्थल केन्द्र अपने आस-पास के क्षेत्र को अधिकाधिक सेवा बाजार के रूप में प्रदान करेगा।

(ख) क्रिस्टालर का थातायात नियम या ट्रेडिब सिद्धान्त :— क्रिस्टालर ने बाजार सिद्धान्त केन्द्र स्थलों के आकार को $K=4$ मेटर्वे कहा है। इस नियम के अनुसार केन्द्रो और इसके प्रदेशो की संख्या में कुल चारि क्रमः 1, 4, 16, 64, 256 का क्रम होगा। थातायात केन्द्र स्थल स्थलीय ढंग से विकसित होते हैं, न कि क्षेत्रीय या स्थानिक ढंग से।

(ग) क्रिस्टालर का प्रशासकीय सिद्धान्त :— क्रिस्टालर ने प्रशासकीय नियम में $K=7$ का नाम बताया है जिसमें केन्द्र स्थान 1, 7, 49, 243, 2401 के क्रमानुसार व्यवस्थित होने चाहिए।

